समक्ष न्यायालय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 2374 - I/13

1. श्रीमति सिन्दोबाई पति स्व0 बाबूलाल बढ़ई

निवासी भामटा, पोस्ट-तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा

----- पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मेहताब पिता दीपचन्द तिवारी

निवासी सापापार, पोस्ट मुंगवानी,

तहसील व जिला सिवनी, म0प्र0

----- उत्तरवादी

राजस्व पुनरीक्षण आवेदन पत्र, अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू-रा0सं0 1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित विनय है:-

उत्तरवादी/आवेदक द्वारा ग्राम भामटा, ब0नं0-150, प0ह0नं0-25, रा0नि0मं0 व तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा की कृषि भूमि, खसरा नंबर-33 जिसका पुराना नम्बर 23 रकबा 1.554 हे0 का राजस्व निरीक्षक बिछुआ द्वारा दिनांक 7/5/2013 को सीमांकन कर राजस्व प्रकरण क्रमांक-23/अ-12/2012-13 मेहताब विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन, तहसीलदार बिछुआ में दिए गए प्रतिवेदन दिनांक 8/5/2013 जिसका सीमांकन प्रकरण नस्ती दिनांक 23/5/2013 है। इस सीमांकन कार्यवाही से क्षुब्ध होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित मुख्य आधारों पर यह पुनरीक्षण पेश किया जा रहा है:-

पुनरीक्षण के मुख्य आधार

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सीमांकन ना करने के लिए दी गई दिनांक 27/4/2013 की आपत्ति पर ध्यान ना देकर सीमांकन कार्यवाही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-129 के प्रावधानों के विपरीत कर गम्भीर त्रुटि की है तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया है। आपत्ति के बाबद कोई मत सीमांकन प्रक्रिया में नहीं दिया गया है। इससे

R 2374-J113

Rc-6013

22.7.16.

અરજદારે ફરીયાદ 11-4-14 ના રોજ નિવેદન રજુ. કર્યુ છે, [illegible] કરી [illegible]. નિયમો [illegible] [illegible] અરજદાર ની [illegible] નિવેદન [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

પત્રવ્યવહાર [illegible] [illegible]

[illegible signature]